दिनांक 25.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 36/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना करमा

- **25 हजार रूपय का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 25.08.2025 को थाना करमा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैडाड़ तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त उमेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना करमा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करमा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उमेश निवासी विषहार थाना करमा जनपद सोनभद्र।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–1

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.08.2025 को थाना फेस–1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोल चक्कर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहरूख को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना फेस–1 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–1 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहरूख निवासी ग्राम रूपेड़ी जमालगढ़ थाना पुन्हाना जनपद नूह हरियाणा।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना ट्रोनिका सिटी

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र पुस्ता से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चांद कुरैशी उर्फ अरशद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चांद कुरैशी उर्फ अरशद निवासी कस्बा उझारी थाना सैदनंगली जनपद अमरोहा, हालपता पीली पट्टी थाना वेलकम दिल्ली।

जनपद गोरखपुर/जीआरपी थाना गोरखपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.08.2025 को जीआरपी थाना गोरखपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन गोरखपुर सैलुन गेट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रिन्स उर्फ मोनू उर्फ जंगली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर व अनुभाग गोरखपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त गोरखपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जीआरपी थाना गोरखपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रिन्स उर्फ मोनू उर्फ जंगली निवासी ग्राम सवरेजी थाना खामपार जनपद देवरिया, हालपता जंगल तुलसीराम बिछिया कॉलोनी गोरखपुर।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 22 हजार 700 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 25.08.2025 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पूर्वी तिराहे के पास से अभियुक्त मोहित उर्फ राजा को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 22 हजार 700 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहित उर्फ राजा निवासी ग्राम निवाडी कला थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 22 हजार 700 रूपये नगद।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 25.08.2025 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना पटहेरवा क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–अमरेश 2–महेश कुमार 3–जाहिद उर्फ गुच्चक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अमरेश के विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त जाहिद उर्फ गुच्चक के विरूद्ध जनपद कुशीनगर के थाना पटहेरवा पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमरेश निवासी कोईसा खुर्द थाना कटेया जनपद गोपालगंज, बिहार।

2–महेश कुमार निवासी बनकटा थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज, बिहार।

3–जाहिद उर्फ गुच्चक निवासी वार्ड नं0–06 फाजिलगंज थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपय कीमत के 502 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः24.08.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मानकमऊ से ग्राम थरोली जाने वाले रास्ते पर नहर पटरी के पास

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आसिफ 2–साजिद घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 502 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग, अभियुक्त साजिद के विरूद्ध हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आसिफ निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2–साजिद निवासी ढोलीखाल सिराजान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 502 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बड़ौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा व 42–42 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बड़ौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विकास 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 42–42 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 365/323/504 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाषचन्द्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————